डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195] रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 सितम्बर 2001—भाद्र 19, शक 1923

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 526/परिवहन विभाग/2001.—केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 115 के उपनियम (7) के अनुसरण में राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

स्कीम

1. **संक्षिप्त नाम**—
इस स्कीम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदूषण जांच-केन्द्र योजना," 2001 है.

2. **परिभाषायें**—
इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59),

(ख) "प्राधिकार-पत्र" से अभिप्रेत है ऐसा प्रमाण-पत्र जो मोटरयानों के प्रदूषण की जांच के लिये प्रदूषण जांच-केन्द्र को जारी किया गया है.

(ग) ''प्रमाण-पत्र'' से अभिप्रेत है ऐसा नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र, जो नियम 115 के उपनियम (7) के अधीन प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा मोटरयान के स्वामी को जारी किया गया है,

(घ) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है इस योजना से संलग्न ''प्ररूप'',

(ङ) ''प्रदूषण जांच केन्द्र'' से अभिप्रेत है, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 115 के उपनियम (7) के अधीन प्राधिकृत केन्द्र,

(च) ''नियम'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989,

(छ) वे शब्द एवं वचन जो इस योजना में परिभाषित नहीं किये गये हैं, उनका अर्थ वही होगा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) में परिभाषित है.

3. **प्राधिकार-पत्र अभिप्राप्त करने हेतु अर्हतायें—**

इस योजना के अधीन प्रदूषण जांच के लिये प्राधिकार-पत्र अभिप्राप्त करने के लिये निम्नलिखित अर्हतायें आवश्यक होंगी :—

(क) आवेदक ने आवेदन की तारीख को हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो और वह आवेदन की तारीख को 18 वर्ष की आयु से कम का न हो.

(ख) प्रदूषण जांच केन्द्र संचालन हेतु आवेदक या उसके कर्मचारी, के पास आई.टी.आई. का मेकेनिक (डीजल), मेकेनिकल (मोटरयान) का प्रमाण-पत्र या समतुल्य प्रमाण-पत्र होना चाहिए.

(ग) आवेदक को केन्द्रीय मोटरयान नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में मोटरयान से उत्सर्जित होने वाले धुएं और गैस की जांच के लिए स्मोक मीटर (प्रिन्टर सहित), गैस एनालाईजर (प्रिंटर सहित), और यानों की ट्यूनिंग के लिये आवश्यक उपस्कर रखना होगा.

(घ) ऐसे आवेदक को, जो मोटर वर्कशाप/मोटर सेवा केन्द्र चलाते हैं या जिनके पास प्रदूषण निरीक्षण उपस्कर सुसज्जित मोटरयान है, अधिमान दिया जायेगा.

(ङ) यदि मोटर वर्कशाप/मोटर सेवा केन्द्र या प्रदूषण जांच उपस्कर से सुसज्जित मोटरयान में काम करने वाले आवेदक के किसी कर्मचारी के पास आटोमोबाईल/मेकेनिकल इन्जीनियरिंग में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री हो तो प्राधिकार-पत्र अभिप्राप्त करने में प्राथमिकता दी जायेगी.

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक तथा शासन की ऋण योजनाओं में प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित करने हेतु ऋण प्राप्त आवेदक अथवा इकाई को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा.

4. **प्राधिकार आदि जारी करने की प्रक्रिया—**

(1) संबंधित जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं परिवहन अधिकारी की एक समिति जिले में पंजीकृत मोटरयानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकता पर विचार कर उस जिले में प्रदूषण जांच केन्द्रों की अधिकतम संख्या का प्रस्ताव जिले के प्रभारी मंत्री को कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे. प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित संख्या उस जिले के प्रदूषण जांच केन्द्रों की अधिकतम संख्या होगी.

(2) इस प्रकार अनुमोदित की गई अधिकतम संख्या के अध्यधीन रहते हुए कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी के परामर्श से ऐसे स्थान जहां संबंधित जिले में प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित किये जायेंगे निश्चित करेंगे. कलेक्टर प्रदूषण जांच केन्द्र को निर्णित करते समय यातायात के घनत्व तथा अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखेंगे.

(3) इस स्कीम के अधीन प्रदूषण जांच केन्द्रों को स्थापित करने के लिये जिले के संबंधित परिवहन अधिकारी द्वारा स्थानीय या क्षेत्रीय समाचार-पत्र में सामान्य विज्ञापन प्रकाशित कराकर उपनियम (6) में विहित आवेदन-पत्र फीस सहित प्रारूप-1 में आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे.

(4) इस प्रकार प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपनियम (1) में उल्लेखित समिति द्वारा किया जावेगा. कलेक्टर सुनवाई का अवसर देगा तथा आवेदकों का चयन करेगा.

(5) संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी द्वारा, चयनित आवेदकों को उपनियम (6) में निर्धारित फीस का भुगतान वसूल करने के पश्चात् प्रदूषण जांच केन्द्र के लिये कोड क्रमांक आवंटित कर प्राधिकार-पत्र प्रारूप-2 में, जारी किया जाएगा जिसके साथ प्रदूषण जांच-केन्द्र स्वामी द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तों तथा संधारित किये जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप, संलग्न होगा.

(6) निम्नलिखित फीस प्रभारित की जायेगी :—

(क) प्रदूषण जांच केन्द्र का आवेदन-पत्र	रुपए	300.00
(ख) प्राधिकार-पत्र प्रदान करने के लिए		
1. आरक्षित प्रवर्ग के लिये	रुपए	3000.00
2. अन्य के लिये	रुपए	5000.00

5. **प्राधिकार-पत्र की कालावधि, नवीनीकरण आदि—**

(1) प्रदूषण जांच केन्द्र के लिए जारी किया गया प्राधिकार-पत्र तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और कलेक्टर द्वारा समय-समय पर अधिकतम एक वर्ष की कालावधि के लिए उसे नवीनीकृत किया जा सकेगा.

(2) नवीनीकरण के लिये आवेदन संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी को प्राधिकार-पत्र के समाप्त होने की तारीख से 30 दिन पूर्व उप-नियम (6) के अधीन विहित फीस के साथ प्रस्तुत किया जायेगा. विलंब होने के कारण उपनियम (6) में यथा विहित फीस प्रभारित की जायेगी.

(3) परिवहन अधिकारी प्राधिकार-पत्र के नवीनीकरण का आवेदन-पत्र कलेक्टर को नवीकरण हेतु प्रस्तुत करेगा. कलेक्टर प्रदूषण जांच केन्द्र के स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित में कारणों को लेखबद्ध करते हुए प्राधिकार-पत्र का नवीनीकरण कर सकेगा अथवा जारी करने से इंकार कर सकेगा. संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी प्ररूप-3 में नवीनीकरण-पत्र जारी करेंगे.

(4) आवेदक अथवा प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी, कलेक्टर द्वारा पारित किए गए प्राधिकार-पत्र जारी करने से इंकार/नवीनीकरण करने से इंकार के आदेश के विरुद्ध परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर के समक्ष निर्धारित फीस के साथ आदेश के 30 दिन में अपील फाइल कर सकेगा. ऐसी अपील में पारित आदेश अंतिम होगा.

(5) प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी, प्राधिकार-पत्र को किसी भी समय कलेक्टर को सौंप सकेगा और इस प्रकार सौंपने की तारीख से प्राधिकार रद्द किया गया माना जायेगा.

(6) निम्नलिखित फीस प्रभारित की जायेगी :—

(क) प्राधिकार-पत्र के नवीकरण का आवेदन-पत्र हेतु	रु.	300.00
(ख) नवीकरण आवेदन के विलम्ब पर	रु.	100.00 प्रतिमाह अतिरिक्त
(ग) नवीनीकृत प्राधिकार-पत्र जारी करने हेतु	रु.	5000.00

(घ) अपील का आवेदन-पत्र : रु. 100.00

7. प्रदूषण जांच-केन्द्र स्वामी प्राधिकार-पत्र एवं नवीनीकरण पत्र के यानों के जांच स्थल पर प्रदर्शित करेगा.

6. **प्राधिकार-पत्र का निलंबन/रद्दकरण—**

(1) यदि कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि इस योजना के अधीन प्राधिकृत कोई प्रदूषण जांच केन्द्र, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों तथा प्राधिकार-पत्र की शर्तों का पालन नहीं करता है तो वह ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् और प्राधिकार-पत्र धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा प्राधिकार-पत्र को निलंबित/रद्द कर सकेगा.

(2) यदि संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस स्कीम के अधीन प्राधिकृत कोई प्रदूषण जांच केन्द्र, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों तथा प्राधिकार-पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी जांच, जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् और प्राधिकार-पत्र धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा प्राधिकार-पत्र को निलंबित कर सकेगा.

(3) संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी द्वारा पारित किए गए निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील, कलेक्टर को की जा सकेगी और कलेक्टर द्वारा पारित किये गये निलंबन या रद्दकरण के आदेश के विरुद्ध अपील, परिवहन आयुक्त को की जायेगी और अपील में पारित आदेश अंतिम होगा.

(4) इस नियम में अपील आदेश के 30 दिन के अंदर की जा सकेगी एवं इसकी फीस रु. 100 होगी.

7. **नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र—**

(1) प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी, नियम 115 के उपनियम (7) के प्रयोजन के लिए प्ररूप-4 में यान के स्वामी को नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र जारी करेगा जो छह मास तक विधिमान्य होगा.

(2) ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी, यान के स्वामी से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित करेगा :—

	यान का प्रकार	फीस रुपये
(क)	दो पहिया यान हेतु	रु. 20.00
(ख)	तीन पहिया यान हेतु	रु. 30.00
(ग)	चार पहिया हल्के मोटरयान हेतु	रु. 40.00
(घ)	मध्यम मोटरयान हेतु	रु. 50.00
(ङ)	भारी मोटरयान हेतु	रु. 100.00

(3) राज्य सरकार से संबंधित वाहनों से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट फीस भारित नहीं की जायेगी.

8. **प्रदूषण जांच केन्द्र का निरीक्षण—**

(1) परिवहन विभाग का कोई राजपत्रित अधिकारी, जिले का कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई राजपत्रित अधिकारी, अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदूषण जांच केन्द्र का निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट जिला कलेक्टर तथा परिवहन आयुक्त को भेजेगा.

प्ररूप – 2
(नियम 4 (5) देखिये)
(प्रदूषण जॉच केन्द्र के लिए प्राधिकार पत्र)

प्राधिकार–पत्र क्रमांक–..................
जारी करने का दिनांक..................

श्री / मेसर्स ....को कलेक्टर के आदेश क्रमांक .... दिनांक ....के अनुसरण में मोटर यान प्रदूषण जॉच केन्द्र स्थापित करने के लिये निम्न स्थान पर जिले में प्राधिकृत किया जाता है। धारक को (क) डीजल चलित यान एवं (ख) पेट्रोल चलित यान की जांच के लिये प्राधिकृत किया जाता है। प्राधिकार–पत्र जारी करने के दिनॉक से तीन वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा ।

प्रदूषण जांच केन्द्र का स्थान
....
....

......................परिवहन अधिकारी
जिला..................................

प्ररूप – 3
(नियम 5 (3) देखिये)
(प्रदूषण जॉच केन्द्र के लिए प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण)

नवीनीकरण–पत्र जारी करने का दिनांक..................

इस कार्यालय से जारी प्राधिकार–पत्र / नवीनीकरण–पत्र क्रमांक........................ कलेक्टर के आदेशानुसार नवीनीकरण दिनांक से एक वर्ष / और एक वर्ष के लिये, एतद्द्वारा, नवीनीकृत किया जाता है।

......................परिवहन अधिकारी
जिला..................................

प्राधिकार पत्र जारी करने का दिनांक–
अंतिम नवीनीकरण का दिनांक

......................परिवहन अधिकारी
जिला..................................

प्ररूप -- 4

(नियम 7 (1) देखिये)
(नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र)
(परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत-- सम्पूर्ण भारत में विधिमान्य)

प्रमाण-पत्र क्रमांक..........
जारी दिनांक.................

प्रमाणित किया जाता है कि यान का सी.ओ. उत्सर्जन स्तर/धुएं का घनत्व केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 115 (2) में निर्धारित मानक के अनुसार है।

	यान का प्रकार	आइडलिंग सी. ओ. उत्सर्जन की निर्धारित सीमा (लिमिट)	मापित स्तर
पेट्रोल-चलित यानों के लिये	2 & 3 पहिया यानों के लिये	4.5% आयतन द्वारा	
	4 पहिया यानों के लिये	3% आयतन द्वारा	
	यान का प्रकार	**धुएं के घनत्व की निर्धारित सीमा**	**मापित स्तर**
डीजल-चलित यानों के लिये	(क) कृषि ट्रेक्टर से भिन्न वाहनों के लिये। 1. निर्माता द्वारा घोषित अधिकतम इंजन दर आर पी एम के पूर्ण भार का 60 से 70 प्रतिशत	75 हार्टिज इकाई	
	2. प्राकृतिक रूप में स्थापित इंजन के लिये स्वतंत्र एक्सीलरेशन	65 हार्टिज इकाई	
	(ख) कृषि ट्रेक्टर के लिये पी.टी.ओ. संचालन जांच में अधिकतम विकसित शक्ति का 80%	75 हार्टिज इकाई	

प्रदूषण जांच केन्द्र का नाम
....
प्रदूषण जांच केन्द्र का कोड नम्बर ....
जिला ....
जांच शुल्क रूपये ....
जांच का दिनांक ....

प्रदूषण जांच केन्द्र का नाम
....
प्रदूषण जांच केन्द्र का कोड नम्बर ....
जिला ....
जांच शुल्क रूपये ....
जांच का दिनांक ....

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, नाम तथा मोहर

- प्रिन्टर से प्राप्त उत्सर्जन रिपोर्ट प्रमाण पत्र के साथ रखी जावेगी।
- प्रमाण-पत्र जारी करने के दिनांक से छः माह के लिये वैध रहेगा।

प्ररूप–5

(नियम 9(1) देखिये)

प्रदूषण जांच के बारे में प्राधिकृत एजेन्सी के ब्योरा दर्शाने वाला रजिस्टर

परिवहन अधिकारी कार्यालय ————————————

जिला————————————

अ. क.	प्राधिकृत एजेन्सी का नाम तथा पता	प्राधिकृत एजेन्सी के स्वामी का नाम तथा पता	जारी प्राधिकार का कमांक	प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख	प्राधिकार पत्र की विधिमान्यता की कालावधि	पट्रोल / डीजल चलित यान जिसके लिये प्राधिकृत है	प्राधिकार पत्र के निलंबन / रद्दकरण / नवीनीकरण के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्ररूप– 6
(नियम 10 देखिये)
(नियंत्रित प्रदूषण स्टीकर)

छत्तीसगढ़ के राज्य पाल के नाम से तथा आदेशानुसार

आर. के. विज, उप सचिव

क्रमांक /परि./2001–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्या दिनांक .... का अंग्रेजी अनुवाद राज्य के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

आर. के. विज, उप सचिव

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2001

क्रमांक 526/परिवहन विभाग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्या दिनांक 10-9-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, उप-सचिव.

Raipur, the 10th September 2001

NOTIFICATION

No.526/Transport Dept./2001.—In pursuance of sub-rule (7) of rules 115 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, the State Government, hereby, make the following scheme, namely :—

SCHEME

1. Short title—
This scheme may be called the "Chhattisgarh Motoryan Pradushân Jaanch Kendra Yojana, 2001".

2. Definitions—
In this Scheme, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988).

(b) "Authorisation Letter" means the certificate issued to the pollution-testing centre to test the pollution of the Motor Vehicles.

(c) "Certificate" means 'Pollution Under-Control' certificate issued under sub-rule (7) of rule 115 by the authorised testing centre to the owner of the motor vehicle.

(d) "Form" means from appended to this scheme.

(e) "Pollution Testing Centre" means authorised centre under sub-rule (7) of rule 115 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989.

(f) "Rule" means Central Motor Vehicle Rules, 1989.

(g) The words and expressions used but not defined in this Scheme shall have the meanings assigned to them in the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988).

3. Qualification for obtaining Authorisation Letter—
For obtaining authorisation letter for pollution testing under this scheme the following qualifications shall be necessary :—

(a) Applicant must have passed High School or Higher Secondary Examination and should not be less than 18 years of age on the date of application.

(b) Applicant or his employee to operate pollution testing centre must have minimum ITI Mechanic (Diesel), Mechanical (Motor Vehicle) Certificate or equivalent qualification.

(c) Applicant shall have smoke-meter (with printer), gas-analyser (with printer) complying the requirements under Central Motor Vehicle Rules for testing the smoke and gas emission from the motor vehicles and other necessary equipments for tuning of vehicles.

(d) Applicant who operates motor workshop/motor service centre or have the motor vehicle equipped with pollution testing equipments, shall be given preference.

(e) If any of the employees of the applicant working in the Motor Workshop/Motor Service Centre or Motor Vehicle equipped with pollution testing equipments is having authomobile/mechanical engineering diploma/ degree recognized by the State Government, he shall be given priority in obtaining the authorisation letter.

(f) Applicant belonging to Scheduled Cast, Scheduled Tribe, Other Backward Classes or Minority Communities and also applicants/ units who have obtained loans for establishing Pollution Testing Centre under the Government loan schemes shall be given proper representation.

4. **Procedure to issue Authorisation Letter etc.—**

(1) A committee of Collector, Superintendent of Police and Transport Officer of the district concerned having regards to the number of registered motor-vehicles in the district and considering the requirements of the local area shall submit through the Collector the proposal of maximum number of pollution testing centres to be established in that district to the Minister-in-charge of the district. The number so approved shall be the maximum number of the pollution testing centres of that district.

(2) Subject to the maximum number so approved, the Collector shall determine the places where pollution testing centres shall be established in consultation with Superintendent of Police and Transport Officer of that district. Collector, while deciding the location of pollution testing centres should consider traffic density & other relevant facts.

(3) Applications for establishing pollution testing centres under this scheme shall be invited in Form-1 along with application fee prescribed under sub- rule (6) by the Transport Officer of the district concerned, by publishing general advertisement in the local or regional newspaper.

(4) Applications, so received, shall be examined by the committee mentioned under sub-rule (1). The Collector shall give an apportunity of hearing and select the applicants.

(5) The Transport Officer of the district concerned shall allot code number for the pollution testing-centre and issue the authorisation letter in Form-2 along with terms & conditions to be complied with and the form of registers to be maintained by the owner of the pollution testing-centre, to the selected applicants after payment of the prescribed fee under sub-rule (6).

(6) The following fee shall be charged for :—

(a)	Application for pollution testing centre	Rs. 300.00
(b)	Granting authorisation letter	
	(i) For reserve categories	Rs. 3,000.00
	(ii) For others	Rs. 5,000.00

5. **Periodicity of the Authorisation Letter, renewal etc.—**

(1) The authorisation letter issued for pollution testing centre shall be valid for three years and the Collector may renew it from time to time for a period of one year.

(2) The renewal application accompanied with fee prescribed under sub-rule (6) shall be submitted before 30 days of the expiry of authorisation letter to the Transport Officer of the district concerned. On account of delay extra fee shall be charged as prescribed under sub-rule (6).

(3) Transport Officer shall submit the applications of renewal to the Collector. The Collector may, after giving opportunity of being heard to the owner of the testing centre and by recording the reasons in writing, renew the authorisation letter or refuse to renew it. The Transport Officer of the district concerned shall issue the renewal letter in Form-3.

(4) Against the order of refusal of issue/renewal of authorisation letter passed by the Collector, the applicant or the owner of pollution testing centre may file appeal, along with prescribed fee within 30 days of the order before the Transport Commissioner and the order so passed in appeal shall be final.

(5) The owner of the authorised pollution testing-centre may surrender the authorisation letter at any time to the Collector and the authorisation letter shall be treated as cancelled from the date of such surrender.

(6) The following fee shall be charged for :—

(a)	Application for renewal of authorisation letter	Rs. 300.00
(b)	Application for renewal of authorisation letter with delay—	Rs. 100.00 per month additional
(c)	Renewal of authorisation letter	Rs. 3,000.00
(d)	Application for appeal	Rs. 100.00

(7) The owner of the pollution testing-centre shall display the Authorisation Letter and the Renewal Letter, if any, at the pollution testing-centre.

6. Suspension/Cancellation of Authorisation Letter—

(1) The Collector, if satisfied that any pollution testing centre authorised under this scheme does not comply with the provisions of Act of Rules made there under or the conditions of authorisation letter, then after making such enquiry as he deems fit, and after giving opportunity of hearing to the authorisation letter holder, may by order suspend/cancel the authorisation letter.

(2) The Transport Officer of the district concerned if satisfied, that the pollution testing centre authorised under this scheme does not comply the provisions of the Act or Rules made there under or conditions of the authorisation letter, then he may by order after making such enquiry as he deems fit and after giving opportunity of hearing to the holder of authorisation letter, suspend the authorisation letter.

(3) Against the suspension order passed by the concerned Transport Officer, the appeal shall be made to the Collector and against the order of suspension/cancellation passed by the Collector, the appeal shall be made to the Transport Commissioner and the order passed in appeal shall be final.

(4) The appeal under the rule shall be filed within 30 days of the order and the fee shall be Rs. 100.

7. Pollution Under Control Certificate—

(1) The owner of authorised pollution testing-centre for the purpose of sub rule (7) of rule 115 shall issue certificate in Form-4 to the owner of the vehicle, which shall be valid for six months.

(2) The owner of authorised pollution testing-centre shall charge fee from the owner of vehicle for issuing certificate on the following rates :—

	Type of Motor Vehicle	Fee in Rs.
(a)	Two Wheeler	20.00
(b)	Three Wheeler	30.00
(c)	Four Wheeler LMV	40.00
(d)	Medium Motor Vehicle	50.00
(e)	Heavy Motor Vehicle	100.00

(3) No fee shall be charged under sub-rule (2) from the vehicles belonging to the State Government.

8. **Inspection of Pollution Testing Centres—**

(1) Any Gazetted Officer of the Transport Department, Collector or any Gazetted Officer authorised by him, may inspect pollution testing centre within their respective jurisdiction and he shall send inspection report to the Collector and the Transport Commissioner.

(2) The Officer authorised to inspect shall inspect whether the provisions of the Motor Vehicle Act, 1988 or Rules made there-under and conditions of the authorisation letter are being compiled by the pollution testing centre or not.

9. **Maintenance of Register—**

(1) Every Regional Transport Officer/Additional Regional Transport Officer/District Transport Officer shall maintain the details of authorised pollution testing centres under their jurisdiction in the register in Form-5 and shall send return on this basis for every quarter to the Transport Commissioner.

(2) At the end of the financial year Transport Officers mentioned in Sub-rule (1) shall send the report to the Transport Commissioner as per directions issued from time to time.

10. **Pollution Under-Control Sticker—**

(1) The Pollution testing-centres shall issue Pollution Under-Control Sticker in Form-6 to those owners to whom the certificate in Form-4 has been issued. The sticker shall be of 10 cm. Diameter size, of dark green colour on fluorescent background and shall be exhibited on the front of the vehicle. A counterfoil of the sticker shall be maintained for record. Every sticker shall be serially numbered.

(2) Authorised pollution testing centre shall punch the date and month on sticker issued in Form-6.

11. **Compliance of the Directions—**
The State Government and the Transport Commissioner in view of the smooth operation of this scheme may issue necessary directions from time to time to the Collector, Transport Officers and the authorised pollution testing-centre. Such directions shall be complied with by the concerned authorities/persons.

12. **Repeal—**
The 'Motoryan Ke Pradushan Ki Janch Ke Liye Pradushan Janch Ko Adhikrit Karne Ki Yojana, 1993', which has been adapted in Chhattisgarh State by Law adaption Order, 2000, is hereby repealed.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. VIJ, Dy. Secretary.

Form – 1
(See Rule 4(2))

FORM OF APPLICATION FOR POLLUTION TESTING- CENTER

1. Name of Applicant ....Age...............
2. Name of Father / Husband..
3. Full Postal Address...
4. Qualifications of Applicant (enclose certificates)........................
5. If the applicant is from reserve category then mention & enclose necessary certificate..
6. If the applicant has obtained loan under any Government loan scheme for establishing pollution testing-center then mention and enclose necessary certificates...
   ....
7. Whether applicant or his employee is holding certificate of ITI in mechanic (diesel) or mechanical (motor-vehicle) or equivalent qualification? State qualification and ,enclose necessary certificates
   ....
8. Whether the applicant is having experience to conduct motor workshop / motor service center? If yes, then enclose necessary certificates...........
   ....
9. Vehicle for which application is made to obtain authorization letter in respect of pollution testing:-
   1. Diesel driven vehicle 2. Petrol driven vehicle
10. Staff working under the applicant: - (tick the appropriate)
    i. Manager
    ii. Forman/Engineer
    iii. Mechanic
    iv. Helper
    v. Other administrative staff (along with their qualification)
11. Whether the operating staff of Gas-analyzer and/or Smoke-meter is trained? (Enclose necessary certificates).................................
12. Name of the person along with his specimen signature authorised to attest the Pollution Under-Control Certificate.............................
13. The receipt of the prescribed fee of Rs.......... paid vide No. ....dated .... is enclosed along with the application.

I, hereby, declare that the above statements are correct to the best of my knowledge.

Place .. ..
Date.. ... .

Signature and Name of Applicant

FROM - 2
(See rule -4 (5))

AUTHORISATION LETTER
for
POLLUTION TESTING- CENTRE

Authorisation Letter No... ....
Date of Issue...... ....

Sh. / M/s..................... is authorised to issue the 'Pollution Under-Control Certificate' as per Collector's order No.....................dated........ within district .... at the following place. Holder is authorised to test (a) diesel driven vehicles and (b) petrol driven vehicles. The authorisation letter shall be valid for a period of **three years** from the date of issue.

Place of Pollution Testing-Center
....
....

..............Transport Officer
District..................

FROM - 3
(See rule -5(3))

Renewal
of
AUTHORISATION LETTER
for
POLLUTION TESTING- CENTRE

Date of Issue of renewal letter:-..................

The authorisation letter / renewal letter issued vide this office no......................, is, hereby, renewed as per Collector's order for a period of one / another one year from the date of renewal.

..............Transport Officer
District..................

Date of Issue of authorisation letter:- ....
Date of last renewal.-.......................

..............Transport Officer
District..................

FROM - 4

(See rule -7 (1))

POLLUTION UNDER-CONTROL CERTIFICATE

(Authorised by Transport Department. Government of Chhattisgarh Valid throughout India)

Certificate No

Date of Issue.........

Certified that the Vehicle's CO emission level / smoke density conforms to the standards prescribed under rule 115 (2) of The Central Motor Vehicle Rule, 1989

	Class of Vehicle	Prescribed Idling CO Emission Limit	Measured Level	
Petrol Driven Vehicles	2 & 3 Wheeled Vehicles	4.5% by Volume		Name of the Pollution Testing-Center ... Pollution Testing-Center Code Number ... District ... Testing Fee Rs...... Date of Testing.......
	4 Wheeled Vehicles	3% by Volume		

	Class of Vehicle	Prescribed Limit of Smoke density	Measured Level	
Diesel Driven vehicles	(a) For vehicles other than agricultural tractors- (i) Full load at 60 to 70% of maximum engine rated rpm declared by the manufacturer Or	75 Hartidge units		Name of the Pollution Testing-Center... ... Pollution Testing-Center Code Number ...... District.... .... Testing Fee Rs... .. Date of Testing... ...
	(ii) Free acceleration only for naturally aspirated engine	65 Hartidge units		Signature & Name of Authorised Signatory & Seal
	(b) For agricultural tractors 80% load corresponding to maximum power developed in PTO Performance Tests	75 Hartidge units		

1- The emission report obtained from the [illegible]

2- The certificate shall be valid for six months [illegible]

Note - In case of any complaint please inform Collector/Transport Officer [illegible] concerned

Form - 5

[See rule -9 (1)]

REGISTER SHOWING DETAILS OF AUTHORISED AGENCIES IN RESPECT OF POLLUTION TESTING-CENTERS

IN THE OFFICE OF-------------- TRANSPORT OFFICER
DISTRICT------------------

Sr. No	Name & Address of Authorised Agency	Name & Address of Owner of Authorised Agency	Authority letter issue No.	Date of issue of authority letter	Validity Period of Authority letter	Petrol/Diesel driven vehicles for which authorised	Details of suspension cancellation renewal of authority letter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Form - 6

(See rule- 10)

(Pollution Under-Control Sticker)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

R.K. Vij Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2001.